प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग - सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस), में महत्वपूर्ण निवेश किया जिसका परिणाम व्यापक, कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में संव्यवहार की जानकारी की उपलब्धता है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर संव्यवहार की नमूना जांच की अपेक्षा सौ *प्रतिशत* डेटा की समीक्षा का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा और सभी सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कर कानून लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करेगा। पूर्ण डेटा की उपलब्धता संव्यवहारों की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष निरीक्षण की आवश्यकता को भी कम करेगी। तथापि, चूँकि विभाग अखिल भारतीय संव्यवहारों के लिए पूर्ण डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, अत: 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 41 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में ही लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लखित मामले वे हैं, जो 2019-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये नहीं जा सके थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।